न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, राम रतन सौंकरिया, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 39/16 निर्णय दिनांकः– 19–12–2019
(आरसीएमएस संख्या 2016/00148)

1. बलजीत सिंह | पिसरान मक्खन सिंह जाति जटसिख निवासी
2. गुरमीत सिंह | चक 1 एपीडी तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर

–अपीलांट्स

–बनाम–

1. नथमल पुत्र कुम्भाराम जाति ब्राहमण निवासी आसपालसर तहसील सरदारशहर जिला चूरू।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, छत्तरगढ़।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 25–02–1986
सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थितः–
1. श्री नायब सिंह, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 25–02–1986 जिसके द्वारा अपीलांट के धारण की भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इ.गा.न.प.क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष को सुना गया।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने अपनी बहस में बताया कि वादग्रस्त भूमि चक 1 आरएसएम के मुरब्बा नम्बर 112/60 की 25 बीघा अनकमाण्ड भूमि श्रीराम पुत्र पीथाराम को आवंटित भूमि थी। उक्त भूमि अपीलाट्स द्वारा जरिये ईकरारनामा क्रय की गई है तभी से वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट्स का कब्जा काश्त चला आ रहा है। अदालत मातहत द्वारा वादग्रस्त भूमि के मौके की रिपोर्ट प्राप्त किये बिना आराजी जैर का आवंटन

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में इस आधार पर किया गया है कि प्रार्थी को आवंटित भूमि चक 10 एसएलडी के मुरब्बा नम्बर 50/52 की उक्त भूमि चक 10 एसलडी में नहीं है चक 9 एसएलडी में है जिस पर अन्य व्यक्ति का कब्जा है। अतः उक्त भूमि के बदले अपीलांट्स के कब्जे काश्त की भूमि चक 1 आरएसमए के मुरब्बा नम्बर 112/60 की 25 बीघा भूमि आवंटित की गई। जिसका कतई अधिकार अदालत मातहत को प्राप्त नहीं था। यदि रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 को पूर्व में आवंटित भूमि किसी प्रकार से आवंटन योग्य उपलब्ध भूमि नहीं थी तो ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट के प्रकरण को विनिमय कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करते हुए, आवंटन सलाहकार समिति की राय से पुनः विधि सम्मत तरीके से कार्यवाही की जानी चाहिए थी। अदालत मातहत द्वारा इस तमाम प्रक्रिया को दरकिनार करते हुए मात्र रेस्पोडेन्ट को बेजा फायदा पहुँचानें की नियत मात्र से अपीलांट्स के धारण की भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है। जिसका कतई अधिकार अदालत मातहत को प्राप्त नहीं था। वादग्रस्त भूमि तमाम रिकार्ड में आवंटी श्रीराम पुत्र पीथाराम के नाम दर्ज भी रही है। अदालत मातहत द्वारा वादग्रस्त भूमि के बाबत् किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट संबंधित तहसीलदार से प्राप्त नहीं की गई है।

उन्होनें आगे बताया कि वादगत् भूमि रेस्पोडेन्ट के आवंटित किये जाने की तिथि को शुद्व रूप से आराजीराज भूमि नहीं थी वरन् अपीलांट की आक्यूपाईड लैण्ड थी ऐसी स्थिति में आक्यूपाईड लैण्ड का आवंटन रेस्पोडेन्ट को नहीं किया जा सकता था। अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट को वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व ना तो मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई ना ही अपीलांट को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किया गया है। अदालत मातहत द्वारा तमाम कार्यवाही एकतरफा तौर पर बिना किसी प्रकार की जॉच किये वादगत् भूमि का आंवटन रेस्पोडेन्ट को कर दिया गया। अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटन किये जाने के मद्देनजर तमाम कार्यवाही आनन–फानन में की गई है। जिसका अदालत मातहत को कतई कानूनी अधिकार हासिल नहीं है। चूंकि वादगत् भूमि अपीलांट्स की खरीदशुदा व आक्यूपाईड लैण्ड थी। जिसका आवंटन किसी भी स्थिति में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील निरस्त किया जावे।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

मियांद के संबंध में विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने कथन किया कि चूंकि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना पारित किया गया है। ऐसे मामलों में मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियांद शुमार की जावे।

4. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को न्यायालय स्तर से रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही की गई।

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को विधिवत आवंटित है। उक्त भूमि पर अपीलांट के अधिकार उत्पन्न नहीं हुए है। ऐसी स्थिति में अपीलांट वादग्रस्त भूमि से किस प्रकार हितबद्व पक्षकार है। साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है। अतः अपीलांट्स की अपील खारिज फरमाई जावे।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

7. (1) प्रकरण में जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 25–02–1986 के विरूद्व अपील दिनांक 04–04–2016 को प्रस्तुत की गई है। चूंकि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना एकतरफा तौर पर पारित किया गया है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र विश्वास करते हुए अपीलांट की अपील अन्दर मियांद शुमार की जाती है।

(2) हस्तगत् प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा सर्वप्रथम वादगत् भूमि चक 1 आरएसएम के मुरब्बा नम्बर 112/60 की 25 बीघा भूमि का आवंटन श्रीराम पुत्र पीथाराम को किया गया। तत्पश्चात् उसी भूमि का आवंटन पूर्व में आवंटित भूमि पर कब्जा प्राप्त नहीं होने के कारण विनिमय में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है। जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

(3) अदालत मातहात द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को उक्त भूमि का आवंटन राजस्थान उपनिवशेन (इगानप क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विकय) नियम 1970 के नियम 13 (ए) (5) परन्तुक में उल्लेखित शर्तो एवं निबन्धन के तहत किया गया है तथा रेस्पोडेन्ट द्वारा भी वादगत् भूमि की तमाम राशि खजाराराज में जमा करवाई जा चुकी है। ऐसी स्थिति में दोनों की पक्षकारों द्वारा अपने–अपने आवंटन की तमाम कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है।

(4) प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि वादगत् भूमि बतौर भूमिहीन श्रीराम पुत्र पीथाराम आवंटित की जा चुकी है तथा कालान्तर में उक्त

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

भूमि अपीलांट्स द्वारा क्रय की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट्स के अधिकार उत्पन्न हो चुके है। प्रकरण में अदालत मातहत को अपीलांट के आवंटन के समय ही राजस्व रिकार्ड में इस आश्य का इन्द्राज किया जाना चाहिए था। प्रकरण में अदालत मातहत एवं राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही का खामियाजा अपीलांट को नहीं दिया जा सकता।

(5) इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा एक ही आराजी का दो बार आवंटन कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में यह तथ्य जॉच का विषय है कि अदालत मातहत द्वारा एक ही भूमि का दोहरा आवंटन किस आधार पर किया गया है। वादग्रस्त भूमि के आवंटन के समय पक्षकारों के धारण में रही भूमि की जॉच भी अदालत मातहत द्वारा सही तरीके से नहीं की गई है। केवल मात्र पूर्व में आवंटित भूमि उस चक में उपलब्ध नहीं होने के आधार पर अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को ऐसी भूमि का आवंटन किया गया है जोकि आज दिनांक को अपीलांट्स के कब्जे काश्त व जरिये ईकरारामा क्रय की गई भूमि होने से अपीलांट्स की आक्यूपाईड लैण्ड है। अदालत मातहत के उक्त कृत्य से पक्षकारों को अनावश्यक रूप से न्यायालय की शरण में आना पड़ा है। यदि अदालत मातहत द्वारा तत्सयम ही इस तथ्य की जॉच कर ली जाती कि क्या वादग्रस्त भूमि शुद्व रूप से आवंटन योग्य उपलब्ध भूमि है अथवा नहीं? तो प्रकरण में अनावश्यक पेचिदगियों से बचा जा सकता था। चूंकि प्रकरण में दोनों पक्षों द्वारा अपने आवंटन का वैध मानते हुए मौके पर अपना–अपना कब्जा बताया जा रहा है। ऐसीस्थिति में जहॉ तक आवंटन आदेश की वैधता का प्रश्न है, यह तथ्य अदालत मातहत की जॉच का विषय है। अपील स्तर पर आवंटन आदेश की वैधता की जॉच संभव नहीं है।

8. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 25–02–1986 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़ को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे दोनों आवंटनों की वैधता की जॉच करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

9. निर्णय आज दिनांक 19–12–2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(राम रतन सौंकरिया)
राजस्व अपील अधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2020.01.07 10:38:35 IST
Reason: SelfAttested
Location: